मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र.–सी. 5–1/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 31.08.2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत्।

—

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी 3–12/2013/1–3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। परिपत्र की कण्डिका 11.1 में यह प्रावधान है कि कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख(रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित/आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।

2– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान विद्यमान व्यवस्था अनुसार किया जाए। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में जारी दिशा–निर्देशों के मापदण्ड के अनुरूप ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवगंत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाई सुनिश्चित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.कमांक सी 5–1/2016/1/3 भोपाल,दिनांक 31.08.2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेशश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मप्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश जबलपुर/ इन्दौर/ ग्वालियर ।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/ पुस्तकालय मंत्रालय, भोपाल।
16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपालं

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग